



काँफीबोर्ड/COFFEE BOARD

नं/NO.1 डाअम्बेडकरवीथि/DR.AMBEDKAR VEEDHI, बँगलूर/BANGALORE-560 001

[निर्यातअनुभाग/EXPORTER SECTION]

फोन/PHONE: 91-080-2237 5923 फैक्स/FAX: 222 55 55 7

ई-मेल/E_mail: coffeeexports@gmail.com

रिवाइवल और नवीनीकृत पंजीकरण-सीम-सदस्यता प्रमाण पत्र /

REVIVAL AND RENEWAL REGISTRATION-CUM-MEMBERSHIP CERTIFICATE

- | | | | |
|--|---|---------------|-----------------|
| 1. निर्यातक का नाम/EXPORTER NAME | BIO MED INGREDIENTS PRIVATE LIMITED | | |
| 2. कार्यालय का पता/OFFICE ADDRESS | NO 21 RANGHAVEE ESTATE,ISSORCIM DABOLIM NEAR FELICITY HEALTH CLUB,BOGALO BEACH ROAD | | |
| 3. निर्यातक पंजीकरण संख्या कोड/EXPORTER CODE NO. | 1619 | | |
| 4. आर सी एम सी से नवीनीकृत /RCMC RENEWED FROM | 01/04/2023 | | |
| 5. पंजीकरणकीमाता/REGN. VALID UPTO | 31/03/2028 | | |
| 6. निर्यातकप्रकार/EXPORTER TYPE | MERCHANT CUM MANUFACTURER EXPORTER | | |
| 7. IEC NUMBER | 1716900433 | DATE OF ISSUE | 18/07/2016 |
| 8. PAN | AAGCB7768R | 9. GST | 30AAGCB7768R1Z0 |
10. पंजीकरण को नियत तारीख या उससे पहले नवीकृत किया जाना चाहिए अन् यथा पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
Registration is to be renewed on or before the due date, otherwise it will be de-registered.
11. निर्यातकों को भारत से काँफी के निर्यात के लिए काँफी बोर्ड से एक मान्य निर्यात परमिट और उद् पत्ति का आई सी ओमूल का प्रमाण पत्र हासिल करना चाहिए।Exporters should obtain a valid Exporter Permit and ICO Certificate of Origin from Coffee Board for export of Coffee from India.
12. लागू विदेश व यापार नीति प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत निर्यातक संगठन, पता आदि में परिवर्तन को,ऐसे परिवर्तन के30 दिनों के अन् दर पंजीकरण प्राधिकार (काँफी बोर्ड) को अवगत कराएँगे। पंजीकरण प्राधिकारी वास् तविक कठिनाइयों के मामले में गुणागण के आधार पर विलम्ब को माफ कर सकता है। उपरोक्त को देखते हुए, जब कभी भी निदेशकों/सहभागियों,पता,टेलीफोन,फैक्स ई-मेल आई डी आदि में कोई परिवर्तन होता है तो उससे काँफी बोर्ड को तुरन् त अवगत कराया जाए ताकि हम आपको अच छी सेवा प्रदानकर सकें। per Foreign Trade Policy Provisions in force, the Registered Exporter is under obligations to intimate the change in Constitution, address,etc., to the Registering Authority (Coffee Board) Within 30 days of such change. The registering authority may condone the delay On merit in case of genuine hardships.In view of the above, it is advised To intimate to the Coffee Board immediately as and when any change such to enable us to serve you better.

स्थान/Place : Bengaluru

दिनांक/Date : 09/10/2023

कृते मुख्य काँफी विपणन अधिकारी/FOR CHIEF COFFEE MARKETING OFFICER